अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
सुखदेव सिंह आदि **बनाम** परनाम सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए आरटीए नम्बर 21 सन 2018
जी.सी.एम.एस. नम्बर **2023** / 00251

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.2024	अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पर बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व ग्राम 33 एच के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में से 2-2 बिस्वा रास्ते की मांग की गई है। वह मुताबिक तहसीलदार श्रीकरणपुर रिपोर्ट राजस्व ग्राम 33 एच के मुरब्बा नम्बर 37, , 25, 71/23 की कुल 7.857 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम से मुश्तर्का खाता में दर्ज है। मुर्शतका खाता की भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहकाश्तकार का कब्जा काश्त माना जाता है। खाता संयुक्त होने के कारण प्रार्थीगण का कौनसा किलाजात है इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण अपनी भूमि का अलग से खाता विभाजन करवाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम संख्या 18 से 21 के तहत रास्ता ले सकते है। यदि प्रार्थीगण को खाता विभाजन होने पर भी रास्ता नहीं मिलता है तो वह पुनः नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251ए आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	